

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 5632

दिनांक - 30.6.25

प्रार्थीनी
1 शान्ति पत्नि सताराम
जाति जाट निवासी
पांचाणियों की ढाणी,
खारिया तला बाड़मेर
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 भोमाराम पुत्र मगाराम 2 मगनीदेवी
पत्नि वीराराम निवासी पांचाणियों की
ढाणी, खारिया तला तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर 3 तहसीलदार
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 4
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वलजनिक
निर्माण विभाग, खण्ड बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 236/2025 दिनांक- 25/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 866/660 रकबा 0.1619
हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 30.6.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5633-36

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी शान्ति पत्नि सताराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, खारिया तला बाड़मेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भोमाराम पुत्र मगाराम वगैराह निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर